न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 17/24
GCMS NO-2024/124 सन् 2024

बउनवानी:—बंशीलाल पुत्र स्व0 श्री धन्ना लाल मीना नि0 बन्देडिया तह0 चौथ का बरवाडा

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा
2. रामखिलाडी पुत्र शिवकुमार मीना नि0 बन्देडिया तहसील चौथ का बरवाडा

(अपील विरूद्ध तहसीलदार चौथ का बरवाडा के आदेश क्रमांक/राजस्व/2024/604 दिनांक 30.9.2024 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित :— 1. श्री बच्चू सिंह जाट — वकील अपीलान्ट
2. श्री रमेश चन्द बैरवा — वकील रेस्पो.

—: निर्णय :— दिनांक 6.8.2025

अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार चौथ का बरवाडा के आदेश क्रमांक/राजस्व/2024/604/दिनांक 30.9.2024 जिसके द्वारा रेस्पो0 संख्या 2 की खातेदारी भूमि ख0न0 440 रकबा 1.26 है0 एवं ख0न0 318 रकबा 1.82 है0 को पुलिस जाप्ते की उपस्थिति मे जुतवाने बाबत आदेश पारित किये गये है। जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया एंव विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा कथन किया कि आदेश जैर अपील विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश देने से पूर्व अपीलान्ट को क़िसी प्रकार का नोटिस नही दिया गया है ओर ना ही हल्का पटवारी एवं गिरदावर से विवादित भूमि की जॉच करवायी गयी है। अधीनस्थ न्यायालयय ने मौका रिपोर्ट मे यह स्पष्ट नही किया कि विवादित स्थल किस व्यक्ति के कब्जे मे कौन व्यक्ति किस किस भू भाग पर काबिज काश्त है। रेस्पो0 नम्बर 2 द्वारा प्रार्थना पत्र में अपने काश्त की भूमि दर्शाया गयी है जबकि मौके पर 1/5 भाग जमीन पर काश्त की जा रही है तथा दोनो पक्षकार के बीच सिविल न्यायालय व रेवेन्यू कोर्ट मे मुकदमाबाजी चल रही है जिसके निस्तारण से पूर्व ही आदेश जारी किया गया है। रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा ख0न0 209,2440 रकबा 1.26 है0 व ख0न0 217, 318 रकबा 1.82 है0 भूमि अपीलान्ट के खाते में कहॉ से आई इसका हवाला अपने प्रार्थना पत्र व आदेश में भी नही लिया गया है जबकि विवादित भूमि को अपीलान्ट के पिताजी द्वारा खरीद की गयी है जिसको नाबालिग अवस्था में हरफूल के नाम करा दी गयी जिसपर पांचो भाई बराबर का हिस्सा जोतते आ रहे है तथा मौके पर पांचो भाई काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनने एवं जवाब देने का कोई समय [illegible] फैसला जारी कर अहम भूल की है एवं आदेश जैर अपील जारी करने [illegible] पर ओर ज्यादा विवाद बढ गया है। अतःअपील अपीलान्ट स्वीकार [illegible] करने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:33:58 IST
Reason: SelfAttested

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर
(2)............

वकील रेस्पो. द्वारा लिखित बहस पेश कर अपनी बहस मे अंकित किया कि तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दिनांक 30.9.2025 को जो आदेश पारित किया गया है वह रेवेन्यू रिकार्ड एवं कब्जा काश्त के आधार पर पारित किया गया है जो सही एवं सत्य है। यह तर्क भी अंकित किया कि रेस्पो0 संख्या 2 पूर्व मे भी तथा वर्तमान में भी ख0न0 440 रकबा 1.26 है0 बारानी पर तथा ख0न0 318 रकबा 1.82 है0 चाही पर काबिज है तथा सम्पूर्ण भूमि पर स्वंय का कब्जा काश्त मौजूद है तथा जमाबन्दी रिकार्ड पर सम्पूर्ण खाता बैंक ऑफ बडौदा शाखा शिवाड के रहन रखकर के.सी.सी. भी उठा रखी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत अंकित किया गया है।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है। कि विवादित भूमि ख0न0 440 रकबा 1.26 है0. एवं ख0न0 318 रकबा 1.82 है0 वाके ग्राम बांसला जो कि रेस्पो0 संख्या 2 की खातेदारी भूमि है किन्तु अपीलान्ट एवं उसके पुत्रों द्वारा अपीलान्ट की खातेदारी भूमि को जोतने नही देने के कारण उक्त भूमि को पुलिस जाप्ते की उपस्थिति में रेस्पो. संख्या 2 को जुतवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने बाबत प्रशासनिक आदेश क्रमांक/राजस्व/2024/604 दिनांक 30.9.2024 से तीन सदस्य टीम का गठन किया है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाने का पूर्ण अधिकार है तथा आदेश जैर अपील से सीमाज्ञान करने के ही आदेश दिये गये है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 6.8.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:33:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner